

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/एससी-एसटी/2018-19

दिनांक 07-01-19

निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर  
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा

विषय : अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक (कक्षा 6-8) छात्रवृत्ति हेतु बजट आवंटन


उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक (कक्षा 6-8) छात्रवृत्ति हेतु बजट आवंटन वर्ष 2018-19 के विद्यार्थियों के लिए राज्य निधि का आवंटन निदेशक संस्कृत शिक्षा व निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को लेखामद 2202-02-107-05-02 13(राज्य निधि) उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

S.No.	DEOs(H.Q)	Office Id	AMOUNT
1	CHURU	4492	9793250
2	JHUNJHUNU	5349	5869250
3	ALWAR	6452	8268000
4	BHARATPUR	7236	7738250
5	DHOLPUR	7576	4903500
6	KARALI	8055	6588500
7	SAWAI MADHOPUR	8468	4123500
8	DAUSA	8914	7009250
9	JAIPUR	10196	11643500
10	SIKAR	11216	7023250
11	JAISALMER	13291	954250
12	BARMER	13976	4793250
13	JALORE	14459	6384000
14	SIROHI	14800	3947750
15	PALI	15571	4828750
16	AJMER	16289	4493500
17	TONK	16781	3190750
18	BUNDI	17137	3253250
19	BHILWARA	17971	8143250
20	RAJSAMAND	18401	2296500
21	UDAIPUR	20688	3408750
22	DUNGARPUR	20897	1380000
23	BANSWARA	21127	2180750
24	CHITTORGARH	21402	4609000

25	KOTA	21597	3671000
26	BARAN	21800	2671500
27	PRATAPGARH	22191	1308000
28	BIKANER	3735	6020750
29	HANUMANGARH	3282	6003500
30	SRIGANGANAGAR	2735	6653000
31	NAGOUR	12261	9934250
32	JHALAWAR	22087	3373250
33	JODHPUR	13122	6233750
34	SANSKRIT EDUCATION	958	7124250
	<b>TOTAL</b>		<b>179817250</b>

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-


1. उक्त राशि का 750/- प्रति छात्र तथा 1250/- प्रति छात्रा के हिसाब से भुगतान किया जाना है।
2. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
3. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
4. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण निदेशकों/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यार्थियों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में भामाशाह डाटा पोर्टल के माध्यम से जमा करवाई जावे।
5. उक्त आवंटित राशि का उपयोग दिनांक 15.01.2019 तक कर उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
 वित्तीय सलाहकार  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/एससी-एसटी/2018-19

दिनांक 07-01-19

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
3. उपनिदेशक, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
4. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
5. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
 वित्तीय सलाहकार  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर